गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad

पत्रांकः गु0ज0वि0वि0 / प्रशासन / (ए–1) / 2025 / 1540A दिनांकः 31.07.2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय से पूर्व में निर्गत पत्र संख्याः गु0ज0वि0वि0/प्रशा/(ए-1)/2025/1503, दिनांक 24.07.2025 तथा पत्र संख्याः गु0ज0वि0वि0/प्रशा/ ए-1/2025/1513,(संशोधित), दिनांक 25.07.2025 के माध्यम से LL.B/LL.M/M.ED पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम घोषित किया गया था। उक्त काउंसिलिंग कार्यक्रम में छात्राओं के क्षैतिज आरक्षण संबंधी कतिपय विसंगतियों के संज्ञान में आने के उपरांत मा0 कुलपति महोदय द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त तकनीकी त्रुटि को तत्काल सुधारने के आदेश प्रदान किये गये। मा0 कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते है-

1. ऑफर लेटर में अंकित दिशा निर्देशों के बिंदु- “If any issue related to admission procedure arises, Guru Jambheshwar University reserves the right to take the decision and provide the adequate solution and no other party/institution/any legal body/non legal body can interfere in the admission process” के क्रम में पूर्व में डाउनलोड ऑफर लेटर को निरस्त किया जाता है।

2. नवीन काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी छात्रों को नया ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा। पुराने और नये ऑफर लेटर मे यदि आवंटित महाविद्यालय समान रहते हैं तो उनके प्रवेश यथावत रहेंगे, और आवंटित महाविद्यालय अलग-अलग हों तो पुराने ऑफर लेटर के आधार पर हुये प्रवेश को निरस्त किया जाता है।

3. संज्ञानित तकनीकी त्रुटि को सुधारते हुये महाविद्यालयों मे प्रवेश हेतु नवीन काउंसिलिंग प्रक्रिया विश्वविद्यालय के पत्र संख्याःगु0ज0वि0वि0/प्रशा/(ए-1)/2025/1540, दिनांक 31.07.2025 के माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी।

छात्रों की सुविधा को देखते हुये उक्त के साथ निम्नांकित अनुदेश जारी किये जाते हैं-

1. ऐसे छात्र जिन्हें नवीन काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत सीट आवंटित नहीं हुई है जबकि पूर्व काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत उन छात्रों को सीट आवंटित हुई थी, ऐसी स्थिति मे उनके प्रवेश को रद्द किया जाता है और संबंधित महाविद्यालयों द्वारा संबंधित छात्रों को एडमिशन फीस (बिना किसी कटौती के) तत्काल रिफंड करने के निर्देश दिये जाते हैं।

2. ऐसे छात्र जिन्हें नवीन काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत सीट (पूर्व की भांति समान कालेज मे) आवंटित हुई है और पूर्व काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत भी सीट आवंटित हुई थी, ऐसी स्थिति मे उन छात्रों के प्रवेश यथावत रहेंगे और संबंधित महाविद्यालयों द्वारा संबंधित छात्रों से पूर्व मे अदा की गयी एडमिशन फीस को समायोजित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3 ऐसे छात्र जिन्हें नवीन काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत सीट आवंटित हुई है और पूर्व काउंसिलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत भी सीट आवंटित हुई थी, किंतु महाविद्यालय अलग-अलग हो तो ऐसी स्थिति मे उन छात्रों को पूर्व में आवंटित महाविद्यालयो में जमा की गयी एडमिशन शुल्क (बिना किसी कटौती के) तत्काल रिफंड करने के निर्देश दिये जाते हैं। संबंधित छात्र नये आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार एडमिशन शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकेगा।

4. ऐसे छात्र जिन्हें पूर्व काउंसिलिंग प्रक्रिया मे सीट आवंटित नहीं थी और नवीन काउंसिलिंग प्रक्रिया में सीट आवंटित हुई है। उन छात्रों को काउंसिलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करते हुये अपना नया ऑफर लेटर डाउनलोड कर संबंधित महाविद्यालय में नियमानुसार दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।

5. ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय के पोर्टल gjumweb.in पर पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होकर काउंसिलिंग शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें किसी प्रकार का काउंसिलिंग शुल्क जमा नहीं करना है।

अतः मा0 कुलपति महोदय के आदेशानुसार मुझे संबंधित महाविद्यालयों के प्रचार्यो से यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पाठ्यक्रमों में काउंसिलिंग प्रक्रिया/प्रवेश के दौरान उपर्युक्त बिंदुओं की अनुपालना सुनिश्चित किया जाये और संबंधित महाविद्यालय छात्रों को नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने में सहयोग करेंगें। इसके साथ ही प्रवेश हेतु पूर्व में जारी दिशानिर्देशों में वर्णित “ The College/s and seats given in the list are subject to change as per the prevailing circumstances. Eligible Colleges may be added and ineligible Colleges may be deleted” का संज्ञान अवश्य रखा जाये।

(गिरीश कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैय0सहा0, वित्त अधिकारी।
3. वैय0सहा0, कुलसचिव।
4. संकायाध्यक्ष।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त संबंधित सम्बद्ध महाविद्यालय को उक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित।
6. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्रों इस आशय से प्रेषित कि छात्रहित के दृष्टिगत उक्त को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव